



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- सीकर में पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर का हैड कानिस्टेबल 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 26 जून, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज सीकर में कार्यवाही करते हुये शब्बीर हुसैन हैड कानिस्टेबल, पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर, पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर, जिला सीकर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजनों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में केस कमजोर करने एवं मदद करने की एवज में शब्बीर हुसैन हैड कानिस्टेबल, पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर, पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर, जिला सीकर द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, बीकानेर के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के सुपरवीजन में एसीबी चूरू इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री शब्बीर खान के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री महेन्द्र कुमार द्वारा मय टीम के सीकर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये शब्बीर हुसैन पुत्र श्री मजीद खान निवासी कासली, पुलिस थाना धोद, जिला सीकर हाल हैड कानिस्टेबल, पुलिस चौकी कस्बा फतेहपुर, पुलिस थाना कोतवाली फतेहपुर, जिला सीकर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी हैड कानिस्टेबल द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।